जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक

06.12.2023 को

सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

की पैतालीसवीं बैठक का

कार्यवृत्त

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ–226010

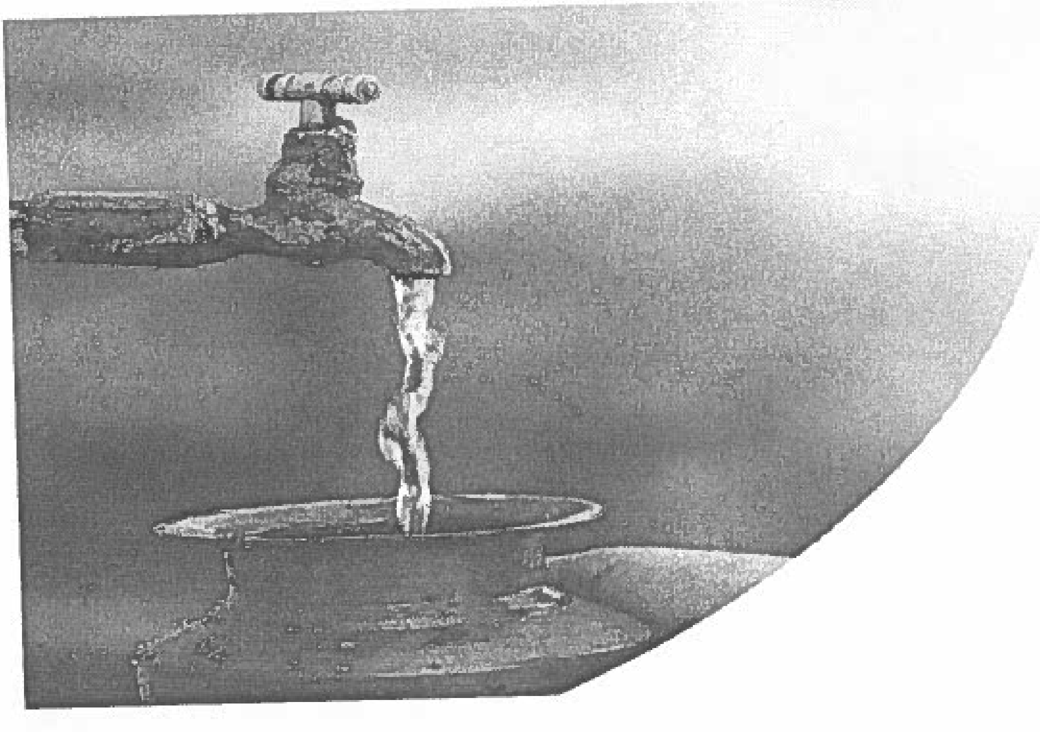

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की पैतालीसवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

बिन्दु संख्या–01

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 31.10.2023 को सम्पन्न चौवालीसवीं बैठक के अनुपालन आख्या का मा0 समिति द्वारा संज्ञान लेते हुये निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. जिन ग्रामो में पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है उन योजनाओ के समस्त कार्य समयावधि के अन्तर्गत अवश्य पूर्ण कर लिये जाएं।
2. जिन ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है उनमें से जिन ग्राामों में अभी कार्य प्रारम्भ नही हुआ है, उन ग्रामों का अनुबंध अतिशीघ्र कराते हुये उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएं।

No. W-11016/11/2021-JJM.IV-DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation
National Jal Jeevan Mission

'Antyodaya' Bhavan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003
Dated: 6th December, 2023

To,

The Principal Secretary,
Namami Gange & Rural Water Supply Department,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow, UP.

Subject: Observations of the National Jal Jeevan Mission, DDWS on the agenda of 45th meeting of the SLSSC, UP – regarding.

Sir,

I am directed to enclose the observations of this department on the Agenda of the 45th SLSSC meeting scheduled to be held on 06th December, 2023, at **Annex.**

2. It is requested that the following observations of NJJM, DDWS may kindly be considered:

i.) The change in the estimated cost of the schemes on account of scope of work may be met from the resources of State Government outside JJM.

ii.) The cost revision on account of change in GST, statutory and compulsory requirements may be considered. The State Government should ensure that expenditure is done on account of these requirements only.

3. State may consider the comments and take decision accordingly in SLSSC.

Yours faithfully,

6/12/23

(Manoj Kumar Jha)
Under Secretary to the Govt. of India
e-mail: manojkumar.jha@nic.in

Encl: As Above.

Annex

Observations of NJJM, DDWS on the Agenda note of 45th SLSSC meeting of Uttar Pradesh to be held on 06th Dec. 2023.

The instant SLSSC proposal contains one single agenda. The agenda proposes revision in 18 schemes under JJM covering 5 districts Lalitpur, Banda, Jhansi, Sonbhadra & Mirzapur. These schemes were approved on 01.07.2020. The cost of these schemes at the time of approval was Rs.3,278.73 Crores. The cost of these schemes has gone up by 399.20 Crores. The revised cost is Rs.3,677.92 Crores.

The matter has been discussed with UP SWSM officials to understand the reasons for revision in cost of these schemes. The reasons cited by UP SWSM officials are as below:

Particulars	Amount (in Crores)	Reasons cited by the State
Approved cost	**3278.73**	
Change in Scope of Work	191.74	Due to change in alignment of pipe line, location of source, addition & subtraction of villages etc.
GST	164.35	Change in GST rates over the years since the approval of schemes on 01.07.2020
Power / NOC	43.11	Changes in charges claimed by agencies for power connections, railway crossings etc
Revised cost	**3677.92**	
Change in (Additional) cost	399.20	

These schemes do not involve any additional FHTCs. The work under these schemes is nearing completion.

Comments of NJJM:

1. The change on account of scope of work may be met from the resources of State Government outside JJM.
2. The Cost revision on account of change in GST, Statutory and mandatory requirements may be considered.

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के 05 जनपदों के 18 सतही स्रोत आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं (स्वीकृत लागत रू0 3278.73 करोड़) के पुनरीक्षित अनुमानित लागत रू० 3677.92 करोड़ का प्रस्ताव।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपदों, कुल 09 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु महत्वाकॉक्षी योजना मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24.07.2018 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के 09 जनपदों हेतु कुल 612 योजनायें (68 सतही स्रोत आधारित एवं 544 भूजल आधारित) जिनका अनुमानित लागत रू0 15310.57 करोड़ है, का विरचन कराया गया। दिनांक 15.08.2019 को जल जीवन मिशन प्रारम्भ किये जाने के फलस्वरूप नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 979/छिहत्तर–1–2020–25सम/2019 दिनांक 26.05.2020 द्वारा विन्ध्य/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आच्छादित करते हुए अग्रिम क्रियान्वयन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के कम में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 612 योजनाओं, अनुमानित लागत रू0 15310.57 करोड़ का प्रस्ताव मा0 राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 01.07.2020 को प्रस्तुत किया गया। मा0 समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त योजनाओं को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किया गया। उपरोक्त येाजनाओं हेतु ई–टेन्डर के माध्यम से फर्मो का चयन करते हुये अनुबंध का गठन किया गया है।

वर्तमान में उपरोक्त योजनाओं में से 18 याजनाओं जिनकी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 01.07.2020 के अनुसार स्वीकृत लागत रू0 3278.73 करोड़ है, में कार्य के स्कोप में परिवर्तन, जी0एस0टी0 के दर में वृद्धि, पावर कनेक्शन की लागत में वृद्धि तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुये व्यय के कारण मा0 राज्य स्तरीय वित्त व्यय समिति उ0प्र0, द्वारा उक्त योजनाओं की पुनरीक्षित लागत रू0 3677.92 करोड (संलग्न सूची के अनुसार) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव– एजेण्डा के साथ संलग्न 18 योजनायें जिनकी पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु० 3677.92 करोड़ है, की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तुत एजेण्डा पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के पत्र संख्या W-11016/11/2021-JJM-IV-DDWS dated 06-12-2023 द्वारा प्राप्त Observations पर आख्या निम्नवत् है :–

Sr No.	Observations from NJJM	Reply on observations
1.	The change in the estimated cost of the schemes on account of scope of work may be met from the resources of State Government out side JJM.	*बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र हेतु स्वीकृत कुल 68 सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं में से मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत 18 पेयजल योजनाओं में 07 पेयजल योजनाओं की संशोधित कार्य लागत में रू0 40.34 करोड की कमी आयी है तथा 11 पेयजल योजनाओं की संशोधित कार्य लागत में रू0 232.08 करोड की वृद्धि हुयी है इस प्रकार 18 पेयजल योजनाओं की संशोधित कार्य लागत में कुल रू0 191.74 करोड की वृद्धि हुयी*

		है। उल्लेखनीय है कि मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत 18 पेयजल योजनाओं में पूर्व में कुल 1339 राजस्व ग्राम एवं 3,78,444 हाउसहोल्ड सम्मिलित थे। संशोधित योजनाओं में कुल 1446 राजस्व ग्राम 3,86,611 हाउसहोल्ड सम्मिलित हैं। उपरोक्त योजनाओं की लागत में वृद्धि का मुख्य कारण कार्य के स्कोप में वृद्धि (यथा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वृद्धि, राइजिंग मेन में वृद्धि, ग्रामों/मजरों की संख्या में वृद्धि, तकनीकी दृष्टिकोण से योजनाओं को Re-organise करने के कारण OHT/CWR की संख्या/क्षमता में परिवर्तन इत्यादि), GST की दर में वृद्धि, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में हुए व्यय तथा पावर कनेक्शन में हुए व्यय के कारण हुई है। किसी भी योजना में Price Escalation इत्यादि के कारण लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। उक्त कारणों से योजनाओं की लागत में हुयी वृद्धि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुमन्य है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं विन्ध्य क्षेत्र की सभी सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं में स्कोप आफ वर्क में परिवर्तन के कारण कार्य लागत में लगभग रू0 775.00 करोड की वृद्धि सम्भावित है। इन योजनओं में जी0एस0टी0 में वृद्धि, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुये एवं पावर कनेक्शन्स की लागत में हुयी वृद्धि के कारण लगभग रू0 1058.00 करोड की वृद्धि सम्भावित है। बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र की समस्त सतही स्रोत आधारित योजनाओं की कार्य लागत में रू0 775.00 करोड की वृद्धि, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के लिये राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत समस्त योजनाओं की कुल लागत रू0 153278.00 करोड का 0.5 प्रतिशत है। यह भी अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्रों हेतु स्वीकृत योजनाओं की कार्य लागत में योजनावार कतिपय परिवर्तन होने के बावजूद सभी योजनाओ की सम्मिलित कार्य लागत में वृद्धि होने की सम्भावना नगण्य है।
2.	The cost revision on account of change in GST, statutroy and compulsory requirements may be considered. The State Government should ensure that expenditure is done on account of these requirements only.	जी0एस0टी0, अनापत्ति प्राप्त करने/पावर कनेक्शन के मद में हुयी वृद्धि को उक्त मदों में ही व्यय किया जायेगा।

निर्णय– एजेण्डा के साथ संलग्न 18 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें जिनकी मूल लागत रू0 3278.73 करोड है तथा पुनरीक्षित अनुमानित लागत रु० 3677.92 करोड़ है, के प्रस्ताव पर मा0 समिति संज्ञानित हुई कि उपरोक्त योजनाओं की लागत में वृद्धि रू0 399.20 करोड का मुख्य कारण कार्य के स्कोप में वृद्धि (यथा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वृद्धि, राइजिंग मेन में वृद्धि, ग्रामों/मजरों की संख्या में वृद्धि, तकनीकी दृष्टिकोण से योजनाओं को **Re-organise** *करने के कारण* **OHT/CWR** *की संख्या/क्षमता में परिवर्तन इत्यादि),* **GST** *की दर में वृद्धि, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में हुए व्यय तथा पावर कनेक्शन में हुए व्यय के कारण हुई है। किसी भी योजना में* **Price Escalation** *इत्यादि के कारण लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। उक्त प्रस्ताव पर मा0 समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।*

LIST OF 18 SURFACE WATER SUPPLY SCHEMES (REVISED COST)

Sl. No.	Distrcit	Name of Scheme	Approved SLSSC Cost (Rs in Cr.)	Proposed Revised Cost (In Cr.) (Approved by EFC)	Variation Due to increase in (in Cr.)				Remark
					Work Cost	GST	Power / NOC	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+7+8)	10
1	LALITPUR	TORI GOV PIPED WSS	27.87	40.36	8.85	2.86	0.78	12.49	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
2	LALITPUR	CHANDWALI GOV PIPED WSS	36.52	46.15	1.78	1.80	6.05	9.63	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
3	LALITPUR	BADANPUR GOV PIPED WSS	82.97	88.36	-4.75	2.14	8.00	5.39	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
4	LALITPUR	BILLA MOHGAN GOV PIPED WSS	83.43	87.94	-0.67	2.90	2.28	4.51	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
5	LALITPUR	SUKUL GUWAN GOV PIPED WSS	46.64	46.14	-5.23	0.93	3.80	-0.50	Project cost has decreased due to change in Scope of Work.
6	LALITPUR	MANDAWARA GOV PIPED WSS	62.22	60.07	-4.83	1.61	1.07	-2.15	Project cost has decreased due to change in Scope of Work.
7	Jhansi	Burhpura GOV Water Supply Scheme	236.83	279.93	26.02	11.18	5.90	43.10	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
8	Banda	Amlikor Group of Village water supply Scheme	865.50	879.35	-24.64	38.49	0.00	13.85	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
9	Mirzapur	Ahugi Kala GOV Water Supply Scheme	262.38	328.28	46.48	15.47	3.95	65.90	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
10	Mirzapur	Gothaura GOV Water Supply Scheme	193.23	201.52	-0.07	8.33	0.03	8.29	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
11	Mirzapur	Dhauha GOV Water Supply Scheme	389.50	406.22	-0.15	16.80	0.07	16.72	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
12	Mirzapur	Manikpur GOV Water Supply Scheme	60.61	64.98	2.58	2.30	-0.51	4.37	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
13	Mirzapur	Danti GOV Water Supply Scheme	88.34	129.83	23.66	17.83	0.00	41.49	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
14	Mirzapur	Talar GOV Water Supply Scheme	179.63	203.45	9.70	10.18	3.94	23.82	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
15	Mirzapur	Mahadev GOV Water Supply Scheme	304.91	334.15	10.09	12.71	6.44	29.24	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
16	Sonbhadra	Amavar Group of Villages	171.11	237.65	56.48	10.06	0.00	66.54	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
17	Sonbhadra	Gurmura Group of Vilages	94.41	124.83	24.30	4.81	1.31	30.42	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
18	Sonbhadra	Panari Group of Villages	92.62	118.71	22.14	3.95	0.00	26.09	Project cost has increased due to change in Scope of Work, increase in GST rate and increase in power connection & NOC charges.
		Grand Total	3278.73	3677.92	191.74	164.35	43.11	399.20	

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या–1

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत डी०पी०एम०यू०/पी०एम०सी० को WASH PMU के रूप में नामित किये जाने का प्रस्ताव।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 66 जनपदों में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) एवं 9 जनपदों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण/प्रबंधन किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य/जनपद/विकासखंड स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त WASH PMU के गठन के निर्देश दिये गए हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है, की नए WASH PMU के गठन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर चयन की कार्यवाही पूर्ण कराने में काफी समय लग सकता है। अतः उक्त के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्व से उपलब्ध Staff/PMU का उन्मुखीकरण कर WASH PMU के कार्यों के लिए नामित किया जा सकता है।

तदक्रम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत DPMU/PMC में उपलब्ध Staff का पुनः उन्मुख(Reorient) कर WASH PMU के रूप में पर्यवेक्षण/देख–रेख हेतु नामित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

प्रस्ताव– जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत डी०पी०एम०यू०/पी०एम०सी० को WASH PMU के रूप में नामित किये जाने का प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–* *जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत डी०पी०एम०यू०/पी०एम०सी० को WASH PMU के रूप में नामित किये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा० समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु

मानानीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बैठक में उपरोक्तानुसार निर्णय लिये गये। तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अनुराग श्रीवास्तव)
आई0ए0एस0
प्रमुख सचिव,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ–226010
संख्या–4084 /डब्ल्यू–335/टेक/जे0जे0एम0/एस0एल0एस0एस0सी0–45वीं/2023–24
दिनांक 26 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. नामित प्रतिनिधि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, भू–गर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वां तल इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय जल ओयोग, लखनऊ–226016।
7. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. प्रोफ़ेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट,बुन्देलखण्ड इस्टीटयूट आफ इंजी.टेक्नोलाजी, झांसी।
10. प्रोफ़ेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
11. प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 वाराणसी।
12. प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
13. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
आई0ए0एस0
अधिशासी निदेशक/
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

दिनांक 06.12.2023 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की पैतालीसवीं बैठक में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/विशेषज्ञों की सूची

क्र0सं0	नाम	पदनाम	संस्था/विभाग
1	श्री अनुराग श्रीवास्तव आई0ए0एस0	प्रमुख सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	डा0 बलकार सिंह आई0ए0एस0	प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3	श्री प्रदीप कुमार सिंह आई0ए0एस0	निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली–110003
4	श्री बृजराज सिंह यादव आई0ए0एस0	अधिशासी निदेशक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5	श्री राजेश कुमार प्रजापति आई0ए0एस0	विशेष सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6	श्री अबसार खॉन	इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ अभियन्ता राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
7	श्री सुमित प्रियदर्शी	सहायक सलाहकार राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

8	श्री जय मंगल राव	वित्त नियंत्रक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9	श्री ए0पी0 सिंह	निदेशक	केन्द्रीय जल आयोग,अपर गंगा बेसिन जान्हवी सदन, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
10	श्री रविकान्त सिंह	सीनियर जी0ओं0 हाइड्रोलोजिस्ट	भूगर्भ जल विभाग, नौवां तल इन्दिरा भवन अशोक मार्ग,लखनऊ।
11	श्री एस0जी0 भरतरिया	क्षेत्रीय निदेशक	केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, सीतापुर रोड, अलीगंज लखनऊ।
12	श्री इजहारूल हक फारूकी	प्रोफेसर एवं हेड	ए0एम0 यूर्निविसिटी, अलीगढ।
13	श्री आर0सी0 वैश्य	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
14	श्री गोविन्द पाण्डेय	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
15	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट,बुन्देलखण्ड इस्टीटयूट आफ इंजी टेक्नोलाजी, झांसी।
16	डा0 अम्बरीष कुमार सिंह	उप सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
17	श्री डी0के0 सिंह	मुख्यअभियंता (स्तर–2)/ यूनिटकोआर्डिनेटर(तकनीकी)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18	श्री गया प्रसाद	स्टेट कोआर्डिनेटर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19	श्री घनश्याम द्विवेदी	तकनीकी विशेषज्ञ	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
20	श्रीमती रितिका राय	अधिशासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
21	श्रीमती ललिता सिंह	अधिशासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।